

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

1.
 - क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/
परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण:- चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।
 - ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न है।
 - ग) परियोजना की लागत। ₹0 13.00 लाख
 - घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। एक मात्र नजदीकी समरेखन।
 - ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए) लागू नहीं
 - च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में आवाक कर पायेगी।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: संलग्न है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
 - क) परिवारों की संख्या नहीं।
 - ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या नहीं।
 - ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) हाँ।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नानुसार।

दिनांक...26/02/2015

स्थान...पिछोरागढ़


सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
पिछोरागढ़


अधीनस्थ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
पिछोरागढ़

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :- चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग

(i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र

- उत्तराखण्ड।

(ii) जिला

- पिथौरागढ़।

(iii) जिला वन प्रभाग

- पिथौरागढ़।

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

- 0.955 हे० वन भूमि।

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:

- अपेक्षित, सिविल व वनपंचायत

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

- संलग्न है।

(i) वन का प्रकार

आरक्षित 0.045 हे०, सि० भूमि 0.62 हे० वनप-0.28 हे०

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

- 4

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना

- संलग्न है।

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

- संलग्न है

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण

- नहीं।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी:

- 1.200 कि०मी०।

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता:

- लाइव नहीं

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा:

- लाइव नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) - नहीं।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) - नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्नवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) - नहीं।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे - नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) - नहीं।

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें:

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - हाँ। अपरिहार्य व न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे:

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) - नहीं।

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही लाइव नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) - नहीं।

25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे:

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। - वर्तमान में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में। लाइव नहीं

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें। लागू नहीं है।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। - 1 हे० से कम लागू नहीं है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। - लागू नहीं है।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय : - लागू नहीं है।

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान कर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। लागू नहीं है।

6. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। - हां/लागू नहीं है।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

प्रस्ताव संस्तुति सहित आसानी से प्रस्तावक वि०॥॥ द्वारा बांधू सरकार व अधिकारी सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों को अनुपालन किया जाएगा।

स्थान: पिथौरागढ़
तारीख: 3-3-2015

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

वन वन अधिकारी
पिथौरागढ़

वन प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग